तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 159/2020(जी.सी.एम.एस. नंबर 2020/00308) बअनवान गुमानाराम व अन्य बनाम ओमाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

गुमानाराम व अन्य

बनाम

ओमाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विक्रम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

आदेश

दिनांक 17 फरवरी 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 665/2020 अनवान ओमाराम बनाम गुमानाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.12.2020 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14.12.2020 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि विवादित भूमि अपीलार्थी संख्या 1 की कब्जे काश्त की एकल खातेदारी की कृषि भूमि है तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है। मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेकर्डेड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदार के विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित भूमि के अपीलार्थीगण के कब्जे व काश्त में दखल करने तथा अवैध रूप से कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ गतिविधियां अर्थात औद्योगिक ईकाई (पत्थरकटिंग आरा मशीन) संचालित करने पर उतारू है। यदि वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट् स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 को अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या तीन की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट गुमानाराम वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 1102 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नं.1103 रकबा 1.3840 हैक्टेयर, खसरा नं. 1101/2 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा नं. 1097/5 रकबा 0.2347 हैक्टेयर ग्राम तेजानगर का रेकर्डेड खातेदार है। खसरा नं. 1103 में स्वयं अपीलार्थी ने 10 बिस्वा भूमि का संपरिवर्तन औद्योगिक प्रयोजनार्थ करवाया था, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार/अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 72/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00161) बअनवान मोहनराम व अन्य बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 दिसंबर 2020 को खसरा नं. 1103 रकबा 1.3840 हैक्टेयर में से पर्व में संपरिवर्तित भूमि रकबा 10 बिस्वा के संबंध में निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर